भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1828

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

भूजल का प्रदूषण

1828. श्री एस. रामलिंगम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में प्रदूषित भूजल क्षेत्रों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु के इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और

(ङ) इस योजना के तहत अब तक तय किए गए लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ) जैसा कि पेयजल और स्वच्छता विभाग की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 27.11.2019 की स्थिति के अनुसार 3.73% आबादी के साथ 3.22% ग्रामीण बस्तियों में पेयजल स्रोत हैं परन्तु गुणवत्ता ठीक नहीं है। तमिलनाडु राज्य सहित बस्तियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, राज्य का विषय है और भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या को पीने का जल प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग देती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की शक्ति राज्यों के पास निहित है। जेजेएम के तहत राज्यों को दी गई निधि का प्राथमिकता आधार पर जल की गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में स्कीमों को शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चालू वर्ष में जेजेएम के अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटन, जारी राशि एवं व्यय **अनुलग्नक-II** पर है।

मार्च, 2016 में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों को लगाने और पाइपड जल आपूर्ति शुरू करने की स्कीमों के लिए विभिन्न आर्सेनिक और फ्लोराईड प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

इसके अलावा, मार्च, 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसे अब देश में आर्सेनिक / फ्लोराईड प्रभावित ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मिला दिया गया है।

एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत राज्यों द्वारा जारी निधि एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(करोड़ रूपये)

क्र.□□	वित्तीय वर्ष	जारी	व्यय
1	2016-17	814.13	384.36
2	2017-18	2011.55	934.57
3	2018-19	864.66	665.94
4	2019-20	-	214.41
□□□		**3690.34**	**2199.30**

एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत चिह्नित आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की वास्तविक स्थिति **अनुलग्नक-**III पर है।

अनुलग्नक I

"भूजल का प्रदूषण" विषय पर दिनांक 28.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1828 □□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पेयजल स्रोत, परन्तु गुणवत्ता ठीक नहीं वाली ग्रामीण बस्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.□□	राज्य	बस्तियों एवं जनसंख्या की प्रदूषणवार संख्या						
		□□□	फ्लोराइड	आर्सेनिक	□□□□	□□□□□	नाइट्रेट	भारी धातु
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	280	264	0	0	15	1	0
3	अरुणाचल प्रदेश	27	0	0	27	0	0	0
4	असम	9450	205	4125	5113	0	0	7
5	बिहार	3808	705	804	2299	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	506	279	0	223	0	4	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	87	87	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	11	4	0	7	0	0	0
12	झारखंड	532	197	18	317	0	0	0
13	कर्नाटक	452	262	2	32	15	140	1
14	केरल	324	29	0	182	81	32	0
15	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	152	142	0	0	10	0	0
17	महाराष्ट्र	172	53	0	14	41	64	0
18	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
19	मेघालय	7	0	0	7	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
21	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0
22	ओडिशा	2409	91	0	2100	218	0	0
23	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	3205	325	651	233	15	128	1853
25	राजस्थान	16833	3756	0	5	12182	890	0
26	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0
28	तेलंगाना	344	0	0	35	174	135	0
29	त्रिपुरा	2377	0	0	2377	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	1203	119	650	346	79	9	0
31	उत्तराखंड	9	0	0	7	0	2	0
32	पश्चिम बंगाल	13323	1355	6207	5082	425	0	254
□□□		**55511**	**7873**	**12457**	**18406**	**13255**	**1405**	**2115**

स्रोत: आईएमआईएस, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुलग्नक II

"भूजल का प्रदूषण" विषय पर दिनांक 28.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1828 □□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यवार जेजेएम के अंतगेत राज्यवार निधि आवंटन, जारी राशि एवं व्यय

(करोड़ रू. में)

क्र.□.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 (21.11.2019 □□)		
		केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी राशि	केंद्रीय व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.45	0.5	0
2	आंध्र प्रदेश	303.47	151.73	41.44
3	अरुणाचल प्रदे	110.47	55.23	0
4	असम	578.65	339.33	102.34
5	बिहार	638.9	25.33	67.69
6	छत्तीसगढ़	169.42	65.82	13.15
7	गोवा	6.16	0	0
8	गुजरात	317.85	158.93	0
9	हरियाणा	122.12	61.06	1.23
10	हिमाचल प्रदे	121.07	60.54	0
11	जम्मू और कश्मीर	262.25	188.67	0
12	झारखंड	218	104.76	11.27
13	कर्नाटक	444.69	222.34	0
14	केरल	202.58	101.29	0
15	लद्दाख	135.71	0	0
16	मध्य प्रदेश	465.49	232.74	30.89
17	महाराष्ट्र	690.55	0	110.65
18	मणिपुर	56.41	28.2	0
19	मेघालय	71.69	35.84	0
20	मिजोरम	33.22	16.61	0
21	नगालैंड	47.07	23.54	0
22	ओडिशा	297.03	148.51	38.59
23	पुदुच्चेरी	2.03	0	0
24	पंजाब	185.24	92.62	11.49
25	राजस्थान	856.47	428.24	93.34
26	सिक्किम	12.85	6.42	4.1
27	तमिलनाडु	302.89	151.45	0
28	तेलंगाना	211.04	105.52	2.05
29	त्रिपुरा	89.71	1.09	15.6
30	उत्तर प्रदेश	947.14	623.57	146.1
31	उत्तराखंड	138.87	69.43	0
32	पश्चिम बंगाल	809.37	404.69	106.04

स्रोत: आईएमआईएस, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुलग्नक III

"भूजल का प्रदूषण" विषय पर दिनांक 28.11.2019 □□ □□□ □□□ में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1828 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतगेत चिह्नित आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की भौतिक स्थिति

क्र.□□	राज्य का नाम	कवर की गई बस्तियों की सं.	राज्य योजना स्कीमों □□ गुणवत्ता सुधार की □□ /कवर की गई	कवर की जा रहीं बस्तियां	छोड़ी गई बस्तियां
1	आंध्र प्रदेश	249	71	25	76
2	असम	458	254	3169	0
3	बिहार	367	879	466	408
4	छत्तीसगढ़	16	37	20	2
5	हरयाणा	37	124	80	4
6	झारखंड	197	836	88	7
7	कर्नाटक	877	62	37	83
8	केरल	38	6	13	16
9	मध्य प्रदेश	125	8	0	3
10	महाराष्ट्र	47	19	21	13
11	ओडिशा	25	3	1	36
12	पंजाब	214	44	408	111
13	राजस्थान	3377	963	1992	517
14	तेलंगाना	1040	1	0	0
15	उत्तर प्रदेश	155	46	196	65
16	पश्चिम बंगाल	4979	749	3086	298
Total		**12201**	**4102**	**9602**	**1639**

स्रोत: आईएमआईएस, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

*****